सत्यमेव जयते

Extra copy for Record

# न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

## COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

**वाद संख्या 6695 / 1024 / 2016** दिनांक 22.03.2017

श्री राघवेन्द्र प्रसाद गौतम, D872
12 / 175, खुटेही, सिविल लाइन्स,
रीवा, मध्य प्रदेश – 486001 ... शिकायतकर्ता

**बनाम**

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, D873
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
निगम कार्यालय, 239, विधान सभा मार्ग
मुम्बई, महाराष्ट्र
इमेल – cmd@unionbankofindia.com .... प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि – 14.02.2017

उपस्थित –

1. श्री राघवेन्द्र प्रसाद गौतम, शिकायतकर्ता
2. श्री आर.टी. कोलेकर, मुख्य प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स, भोपाल, प्रतिवादी पक्ष से

## आदेश

शिकायतकर्ता, 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित व्यक्ति ने अधिनियम तथा आयुक्त (निःशक्तजन), मध्यप्रदेश के आदेश का पालन प्रतिवादी द्वारा कराने से सम्बन्धित शिकायत दिनांक 19.07.2016 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दिनांक 19.07.2016 में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की–

(1) अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत पारित आदेश का पालन न करने के कारणों की जाँच की जाए।

(2) वादी को समस्त सेवा लाभ निःशक्तता की तिथि (मई. 1999) से दिलाने का आदेश दिया जाए।

3. शिकायतकर्ता ने शिकायत के साथ आयुक्त निःशक्तजन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मामले में पारित आदेश दिनांक 28.12.2010 की प्रति संलग्न किया जिसके अनुसार प्रतिवादी को दिनांक 01.11.2000 से 25.05.2003 तक वेतन एवं पश्चात्वर्ती अवधि में रोके गए अन्य सेवाओं का लाभ देने का आदेश दिया गया है।

4. अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को पत्र दिनांक 03.08.2016 के द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया।

5. प्रतिवादी ने पत्र दिनांक 01.10.2016 द्वारा अपनी टिप्पणी भेजते हुए यह कहा कि कि दिव्यांगजन अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं हैं। प्रतिवादी ने यह सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका संख्या 13139/2014 फाइल की। उक्त रिट याचिका में उन्होंने निम्नलिखित राहते मांगी –

(क) चार्ज शीट और विभागीय कार्यवाहियाँ जो उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गई हैं, उन्हें अभिखंडित किया जाए।

(ख) वेतन जारी किया जाए।

(ग) प्रोन्नति और अन्य सेवाओं का लाभ प्रदान किए जाएँ।

6. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने दिनांक 07.01.2005 को आदेश पारित करते हुए विभागीय कार्यवाहियों पर रोक लगा दी। सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.02.2007 को मामले में आदेश पारित किया, जिसके अनुसार चार्जशीट को अभिखंडित कर दिया। तथापि, शिकायतकर्ता के नवम्बर, 2000 से 25 मई, 2003 की अवधि के पिछले वेतन के दावे को कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर नामंजूर कर दिया।

7. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने अपील संख्या 418/07 उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए चार महीने के वेतन की अदायगी का आदेश दिया। तदनुसार दिनांक 29.11.2007 से चार महीने का वेतन शिकायतकर्ता को दे दिया गया, जो कि उनके अकाउंट संख्या 496404020528049 में जमा कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने खण्ड न्यायपीठ के उक्त आदेश से व्यथित होकर पुनः रिट याचिका संख्या 13435/2009 फाइल की जिसमें उन्होंने पुन वेतन देने की राहत की मांग की एवं रिट याचिका 389/2010 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में फाइल की जो कि आदेश क्रमशः दिनांक 30.03.2010 और 30.11.2010 द्वारा खारिज कर दी गई।

8. प्रतिवादी ने कहा कि जहाँ तक शिकायतकर्ता का पदोन्नति का मामला है, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.05.2005 द्वारा पदोन्नत करते हुए सहायक प्रबन्धक (जेएमजीएस–1) के पद पर आदेश संख्या एफजीएमओ/एचआरएमडी/1024/2007 दिनांक 11.07.2007 के आदेश द्वारा पदोन्नति कर दिया गया। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि श्री गौतम द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 19.07.2016 में उठाए गए अनेक मुद्दे पहले से ही बैंक द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सभी मामलों में अनेकों निर्णयों/आदेशों द्वारा निपटाए जा चुके हैं। वे माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न मुकदमेबाजी के प्रक्रमों पर मामलों में हार चुके हैं और उक्त आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी है। वह एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसका विनिश्चय पहले ही कानून के न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि श्री गौतम का आवेदन रद्द किया जाए।

9. शिकायतकर्ता ने अपना प्रत्युत्तर दिनांक 22.102016, प्रतिवादी द्वारा अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिए जाने पर अपनी आपत्ति के साथ, प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि बैंक द्वारा मेडिकल बोर्ड, रीवा द्वारा उनको जारी विकलांगता प्रमाणपत्र दिनांक 06. 05.2012 को दर–किनार करते हुए उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का आदेश दिनांक 15.05.2003 दिया। विभागीय जांच स्थगित रखने के संदर्भ में कहा कि उक्त आदेश दिनांक 01.02.2005 अभी तक प्रभावी है। रिट याचिका संख्या 1319/04 के निस्तारण कराने के सम्बंध में उन्होंने सूचित किया है कि बैंक ने अपने उत्तर दिनांक 01.10.2007 में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा यह तथ्य संज्ञान में आज पहली बार उजागर रहा रहा है। समानान्तर न्यायपालिका के संदर्भ में शिकायतकर्ता ने कहा कि बैंक द्वारा न्याय पाने के उनके रास्ते बंद किए जाते रहे हैं।

10. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2009/स्था. (आरक्षण) दिनांक 10.06.2009 द्वारा स्पष्ट किया है कि उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004/स्था. (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के अनुसार सेवा में आने से पहले अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति और सेवा में आने के बाद अशक्तता से ग्रस्त हुए व्यक्ति में भेद नहीं करता यदि कोई कर्मचारी सेवा में आने के बाद अशक्तता से ग्रस्त हो जाता है तो उसे उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार उस तारीख से अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिस तारीख को वह अशक्तता का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

11. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मामले को दिनांक 14.02.2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु रखा गया।

12. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दाहराते हुए कहा कि प्रतिवादी द्वारा जारी दिनांक 09.08.2004 के आरोप पत्र में दिनांक 10.04.2000 से 25.05.2003 तक अनुपस्थित बताकर उनके वेतन में कटौती किया गया। शिकायतकर्ता ने विभागीय जाँच के निष्कर्ष न बताए जाने, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी, भविष्यनिधि, आदि में कटौती का प्रयास किए जाने तथा ज्ञापन दिनांक 26.05.2011 द्वारा नौकरी से निकाले जाने के सम्बन्ध में षडयंत्र करने तथ उन पर एक पक्षीय दण्ड विहित करने का आरोप लगाया।

13. प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थि प्रतिनिधि ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उत्तर पर भरोसा करते हुए कहा कि श्री गौतम द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 19.07.2016 में उठाए गए मुद्दे आयुक्त निःशक्तजन तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयों/आदेशों द्वारा निपटाए जा चुके हैं और शिकायतकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में हार चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं। शिकायतकर्ता द्वारा एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है जिसका विनिश्चय पहले ही कानून के न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि श्री गौतम द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र को रद्द किया जाए।

14. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्वावेजों तथा सुनवाई के दौरान दिए गए बायानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत–पत्र दिनांक 19.07.2016 में इस तथ्य को उजागर नहीं किया था कि न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश ने अपने आदेश वाद क्रमांक/अनिज/टी2/11/962 दिनांक 25.07.2011 में अन्य बातों के साथ यह कहा है कि माननीय न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित विभिन्न निर्णय के दृष्टिगत यह सिद्ध होता है कि वादी द्वारा इन्हीं मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर कई आदेश पारित किए गए हैं। वादी ने इस तथ्य को न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश से छुपाया था। इसलिए वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विचार योग्य न मानते हुए न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश ने अपने ही द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2010 को निरस्त कर दिया था। अतः इस न्यायालय द्वारा इस मामले में प्रतिवादी को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। शिकायतकर्ता चाहे तो उच्च मंच पर अपनी शिकायत कर सकता है।

15. तद्नुसार मामले को बन्द किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त